प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-96/2024 दिनांक 05.04.2024)

दिनांक-05.04.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा एक अदद कंटेनर ट्रक वाहन (कीमत लगभग 50 लाख रुपये) की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.04.2024 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा थाना तरयासुजान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 373 / 23 धारा 3 (1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना तमकुहीराज द्वारा सम्पादित की जा रही है से संबंधित अभियुक्त इरफान अहमद पुत्र समुल्लाह निवासी मियां सराय थाना कोतवाली संभल जनपद संभल के द्वारा गो- तस्करी से अर्जित अवैध धन से खरीदा गया वाहन कंटेनर ट्रक सं0 UP 78 CN 1467 (कीमत लगभग 50 लाख रुपये) जो पूर्व से थाना खोराबार के मुकदमा अपराध संख्या 71/24 धारा गोवध अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम में निरूद्ध है को धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत जब्त किया गया।

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण-

1-अदद कंटेनर ट्रक सं. यूपी 78 सीएन 1467 (कीमत लगभग 50 लाख रुपये)

जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 बादशाह सिंह थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3-का0मु0 भगवान यादव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले मे एक नफर वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.04.2024 को थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 238/2023 धारा 409,420 भादवि0 में वांछित एक नफर अभियुक्त- 01. मिथिलेश्वर नाथ त्रिपाठी पुत्र देवतानाथ त्रिपाटी साकिन धौरहा थाना चौराखा जनपद कुशीनगर हा0मु0 538क/145 सीतापुर रोड त्रिवेणीनगर थाना अलीगंज लखनऊ उ0प्र0 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 238/2023 धारा 409,420 भादवि0 थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मिथिलेश्वर नाथ त्रिपाठी पुत्र देवतानाथ त्रिपाटी साकिन धौरहा थाना चौराखा जनपद कुशीनगर हा0मु0 538क/145 सीतापुर रोड त्रिवेणीनगर थाना अलीगंज लखनऊ उ0प्र0।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-SO श्री राकेश रोशन सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगऱ।

2-व0उ0नि0 श्री हेरराम सिंह यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

3-उ0नि0 श्री संदीप सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

4-हे0का0 मिथिलेश तिवारी थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा पशु तस्कर गैंग के 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.04.2024 को पशु तस्करी गैंग से संबंधित अभियुक्तगण 01. शाह आलम उर्फ धोनी पुत्र मो0 जमा उर्फ जम्मा निवासी शेख जगदन बघरा थाना तिताबी जनपद मुजफ्फरनगर उ0प्र0, 02.वासिद पुत्र अफसर निवासी पलटेढ़ी थाना घढ़िपुख्ता जनपद शामली उ0प्र0 के विरुद्ध थाना पटहेरवा द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने-अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यो के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशुओं को उत्तर-प्रदेश/ बिहार राज्य में ले जाकर गोकशी कर अधिक रूपये अर्जित कर अपना जीवन यापन करते है। गैंग के सदस्य दिनांक-19.02.2023 को एक अदद ट्रक कन्टेनर रजि0 नं0 UP 21 CN 4005 मे कुल 35 राशि गोवंशीय पशु जिन्दा व 07 राशि गोवंशीय पशु मृत लाद कर वध हेतु बिहार ले जा रहे थे कि मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा इस गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 35 राशि गोवंशीय पशु जिन्दा व 07 राशि गोवंशीय पशु मृत बरामद किया गया था जिसके संम्बन्ध मे थाना पटहेरवा पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0-60/2023 धारा-3/5A/8/5B गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है तथा पुनः इस गैंग के सदस्य दिनांक 17.04.2023 को 06 किलो 800 ग्राम अवैध चरस बेचने व तस्करी के लिए बिहार ले जा रहगे थे कि मुखविर की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा इस गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 06 किलो 800 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया था जिसके सम्बन्ध मे थाना तरयासुजान पर मु0अ0सं0 108/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से पशु तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरूद्ध थाना स्थानीय पर पर मु0अ0सं0 96/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.04.2024 को थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा मु0नं0 5231/22 धारा 138 NI एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त राकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र विपिन बिहारी श्रीवास्तव निवासी श्रीराम पट्टी थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 5231/22 धारा 138 NI एक्ट थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

राकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र विपिन बिहारी श्रीवास्तव निवासी श्रीराम पट्टी थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. SO श्री राकेश रोशन सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री रमेश कुमार सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
3. का0 रामप्रवेश यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 57 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 03 वाहन

2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-74, व्यक्ति-691

3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)

4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-59)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर